

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/595/5883
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/06/2021

- 1 संयुक्त संचालक/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय भोपाल/उज्जैन/
रीवा/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर।
- 2 कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल संभाग कमांक-02 तकनीकी संभाग भोपाल /इंदौर /उज्जैन /
जबलपुर / ग्वालियर /सागर /रीवा /होशंगाबाद /सिवनी /मुरैना/
खरगोन/मंदसोर।
- 3 भारसाधक अधिकारी/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
.....जिला

विषय :- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन. पी. एस.) अन्तर्गत शासकीय अंशदान की राशि
वेतन और मंहगाई भत्ता का 14 प्रतिशत करने बावत्।

म. प्र. शासन वित्त विभाग, ज्ञाप कमांक एफ 9-4/2021/नियम चार दिनांक
28 मई 2021 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अन्तर्गत शासकीय अंशदान की राशि
को राज्य शासन के पूर्व आदेश दिनांक 25.09.2006 के बिन्दु (8) में समतुल्य शासकीय अंशदान
के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन दिनांक 01.04.2021 से लागू किया गया है :- (ज्ञाप की
छायाप्रति संलग्न है)

“कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते (डी.ए.) का 10 प्रतिशत होगा
और राज्य शासन का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा”।

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2005 या उसके पश्चात् नियुक्त
सेवकों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) दिनांक 01.01.2005 से लागू है।

अतः मंडी बोर्ड में दिनांक 01.01.2005 या उसके पश्चात् नियुक्त सेवकों के बोर्ड
अंशदान में दिनांक 01.04.2021 से तदनुसार बोर्ड का मासिक अंशदान दिये जाने की कार्यवाही
सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित

कमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/विविध/595/5884
प्रतिलिपि :-

- 1- अपर संचालक/उप संचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

14.6.21
अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
3 भोपाल
भोपाल दिनांक 14/06/2020

14.6.21
अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
6 भोपाल

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) अन्तर्गत शासकीय अंशदान की राशि वेतन और मंहगाई भत्ता का 14 प्रतिशत करने बावत्।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2003 के द्वारा दिनांक 01/01/2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। उक्त योजना के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13/04/2005 से 01/01/2005 या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गयी।

2/ मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25/09/2006 से योजना को लागू करने के विस्तृत निर्देश के बिन्दु क्रमांक - 8 अनुसार कटोत्रा राशि (मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि) के समतुल्य शासकीय अंशदान के रूप में काटे जाने का प्रावधान है।

3/ भारत शासन की अधिसूचना दिनांक 31/01/2019 के अनुसार नियुक्त अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25/09/2006 के बिन्दु (8) में समतुल्य शासकीय अंशदान के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

"कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते (डी.ए.) का 10 प्रतिशत होगा और राज्य शासन का मासिक अंशदान वेतन और मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।"

3/ उपरोक्त प्रावधान दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाता है।

4/ शेष शर्तें पूर्व में जारी परिपत्र अनुसार ही रहेगी।

(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इन्दौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश शासन।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट/ 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण, बी-1 गोमतिका परिसर, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
16. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल मध्यप्रदेश।
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
18. संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल मध्यप्रदेश।
19. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये।
20. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा /अधीक्षण शाखा/अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
21. मुख्य सचिव, के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल।
22. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
24. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।
25. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी।
27. गार्ड फाईल प्रति।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेपित।

(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग